न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान किशनलाल बनाम रजनीश

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 135/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/4/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी जा चुकी है। उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेजात् अवलोकन करने पर हम पाते है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 03 मे विवादित भूमि खाता संख्या नया 50, पुराना खाता संख्या 80 के खसरा नम्बर 339 रकबा 0.1265 है0, ग्राम नांगल जैसा बोहरा, भू0अ0नि0 क्षैत्र झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर का उल्लेख किया है। प्रार्थी ने अविभाजित भूमि पर प्रा0 पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं कथन किया है कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 03 सहखातेदार है, संयुक्त रूप से उक्त भूमि में काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। यानि प्रार्थी कई सहखातेदारों में से एक सहखातेदार है और शेष सहखातेदारों को प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया है। चूंकि प्रार्थी अविभाजित भूमि का एक सहखातेदार (co-tenant) है, Sole Tenant (एकमात्र खातेदार) नहीं है। अतः जब अविभाजित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा/सीमा तय नहीं है तो अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदार कैसे हो गए। इसलिए ना तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested

30/4/25

अपने पक्ष में साबित कर पाया है एवं अप्रार्थी–1 ने सशपथ कथन किया है कि विवादित भूमि का आवासीय सम्परिवर्तन हो चुका है, इसलिए प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना भी नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:01:48 IST
Reason: SelfAttested